न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

करण संख्या 116/2021

जीत कुमार पुत्र मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी घरडाना खुर्द (बुहाना), पुलिस थाना सिंघाना, तडीनगर, झुंझुनूं मो0न0 7597542285

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (जी0ए0) जिला कलक्टर, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन पिकअप नम्बर आर0जे0 14 जीएल 3081 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 122/2021 पुलिस थाना खेतडीनगर अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट

––

उपस्थितः–

1. श्री रविन्द्र लाम्बा, एडवोकेट–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 02.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त वाहन पुलिस थाना खेतडीनगर मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2021 पुलिस थाना खेतडीनगर मे अ0धा0 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त है। प्रार्थी वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 3081 का स्वामी है तथा दिनांक 04.06.2021 को थाना खेतडीनगर की तलासी अभियान मे मेरी गाडी उक्त वाहन जो एक पिकअप है जो माल ढोने व भाडा हेतु प्रयोग मे ली जाती है को जब्त कर लिया गया। इस वाहन के अन्दर ही मेरी आरसी, डीएल व वाहन का इश्योरेन्स भी मौजूद था जो गाडी के साथ ही जब्त है। उक्त प्रकरण मे अनुसंधान मे उक्त वाहन व दस्तावेज को अनुसंधान का विषय नही बनाया गया है तथा प्रकरण निस्तारण मे काफी समय लगने की संभावना है जिससे लम्बे समय तक वाहन व उक्त दस्तावेज के थाने मे खडे रहने से प्रार्थी को सख्त हक तलफी होगी। जिन्हे सुपुर्दगी पर छोडा जाना न्यायोचित है। उक्त प्रकरण मे वाहन व दस्तावेज को छोडने व सुपुर्दगी का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अ0धा0 45 सीआरपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके स्वामित्व का उक्त वाहन व संबंधित दस्तावेजात् सुपुर्दगी पर देने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडीनगर ने अपने पत्र दिनांक 02.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 04.06.2021 को श्री ज्ञानसिंह आर0पी0एस0 वृताधिकारी वृत्त खेतडी ने मय जाब्ता मय फर्दात मय जब्तशुदा 1600 लीटर डीजल, 15 लीटर पेट्रोल व पिकअप गाडी नं0 आरजे 14 जीएल 3081, नये बेचान उपकरण मय गिरफ्तारशुदा मुलजिमान अजीत कुमार व दीपचंद के उप0 थाना खेतडीनगर होकर फर्दात पेश की कि आज दिनांक 04.06.2021 को समय 7.00 ए0एम0 पर मन ज्ञानसिंह आरपीएस वृताधिकारी बुहाना चार्ज खेतडी को जरिये दूरभाष श्री किरणसिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना खेतडीनगर ने ईतला दी कि कोपर–शिमला रोड

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मानोता नदी के पास रात्रिकालीन गश्त अधिकारी श्री धर्मवीरसिंह एचसी 30 व जाब्ता थाना खेतडीनगर द्वारा एक डीजल–पेट्रोल से भरी हुई पिकअप गाडी को डिटेन किया गया है जिसकी ...ती कार्यवाही की जानी है। उक्त ईतला पर मन वृताधिकारी ज्ञानसिंह आरपीएस सीओ बुहाना ...र्ज वृत खेतडी मय जाब्ता श्री रतनसिंह एचसी 2552, श्री रविन्द्र कानि0 1191, श्री भीमसिंह कानि0 ...2 मय वाहन सरकारी चालक श्री घनश्याम कानि0 1204 मय अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप, प्रिंटर के ...मय 7.10 ए0एम0 पर वृत कार्यालय बुहाना से रवाना होकर समय 8.30 ए0एम0 पर मुताबिक ईतला ... कस्बा खेतडीनगर से आगे मानोता रोड पर श्मसान घाट के पास पहुंचा तो श्री धर्मवीरसिंह एचसी ...0 मय जाब्ता श्री सतवीरसिंह कानि0 353, श्री कर्मपाल कानि0 171 मय वाहन सरकारी जीप ...ालक श्री वेदप्रकाश कानि0 1089 पुलिस थाना खेतडीनगर मय डिटेनशुदा वाहन पिकअप नंबर ...आरजे 14 जीएल 3081 डीजल पेट्रोल से भीरी हुई मय दो शख्सान के खडे मिले। मन सीओ द्वारा ...ी धर्मवीरसिंह एचसी 30 थाना खेतडीनगर से पिकअप व शख्सान बाबत पूछा गया तो बताया कि उक्त दोनों व्यक्ति हरियाणा से डीजल–पेट्रोल पिकअप मे भरकर आ रहे थे जिनमें हमने पीछा कर डिटेन किया है। मन सीओ द्वारा पिकअप को चैक किया गया तो पिकअप के डाले मे आठ प्लास्टिक बडे ड्रम (चार नीले व चार हरे रंग के) व एक सफेद रंग की छोटी प्लास्टिक कैन रखी हुई मिली तथा आगे केबिन मे ड्राईवर सीट के नीचे नये बेचान उपकरण एक प्लास्टिक कीमा (कीप) व एक लोहे की बैरल मशीन (पंप) रखे हुए मिले। मन सीओ द्वारा शख्सान से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम अजीत कुमार पुत्र मनरूपसिंह जाति जाट, उम्र 31 साल निवासी घरडाना खुर्द, पुलिस थाना सिंघाना जिला झुंझुनूं होना बताकर स्वयं को वाहन चालक होना बताया। दूसरे शख्स ने अपना नाम दीपचंद पुत्र धर्मवीरसिंह, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नं0 7, सिवानी, पुलिस थाना भिवानी हरियाणा होना बताया। शख्स मुजकुरान अजीत कुमार व दीपचंद से वाहन व उसमे रखे हुए ड्रमों के बारे मे पूछताछ की गई तो अपने होना बताकर ड्रमों मे हरियाणा से डीजल व पेट्रोल भरकर लाना बताया। मन सीओ व जाब्ता द्वारा पिकअप मे रखे हुए ड्रमों के ढक्कन खोलकर चैक किया गया तो सभी ड्रमों मे तरल पदार्थ भरा हुआ मिला जिसकों मन सीओ व जाब्ता द्वारा सूंघकर चैक किया गया तो डीजल की बू आ रही है। पिकअप के डाले मे रखे हुए एक सफेद प्लास्टिक केन के ढक्कन को खोलकर चैक किया गया तो केन मे करीब 15 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको मन सीओ व जाब्ता द्वारा सूंघकर चैक किया गया तो पेट्रोल की बू आ रही है। मन सीओ द्वारा दोनों शख्सान से इतनी मात्रा मे डीजल व पेट्रोल अपने कब्जे मे रखकर परिवहन करने के संबंध मे लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा गया तो कोई लाईसेन्स/अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। शख्स मजकुरान अजीत कुमार व दीपचंद का उक्त कृत्य जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की खिलाफवर्जी मे आना पाया जाने पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मौतबीर तलब करने हेतु श्री सतवीरसिंह कानि0 353 थाना खेतडीनगर को रवाना किया गया जिसने थोडी देर बाद उपस्थित होकर बताया कि लॉकडाउन के कारण कोई स्वतंत्र मौतबीर नही मिला है जिस पर मौजूदा जाब्ते मे से श्री धर्मपालसिंह एचसी 30 व श्री कर्मपाल कानि0 171 थाना खेतडीनगर को मौतबीर मामूर कर शख्सान द्वारा अवैध डीजल–पेट्रोल परिवहन मे प्रयुक्त वाहन पिकअप गाडी का निरीक्षण किया गया तो पिकअप का केबिन सफेद रंग का ... है। पिकअप के आगे पिछे पीले रंग की नंबर प्लेट लगी है जिस पर आरजे 14 जीएल 3081 अंकित है पिकअप के चेचिस नंबर MA1RR2AEA42M43306 ईंजन नम्बर AB41M758... है। शख्स मजकूर अजीत कुमार से वाहन के कागजात के बारे मे पूछा तो किसी प्रकार के कागजात पास नही होना बताया। जिस पर वाहन को प्रकरण मे बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। शख्स मजकुरान अजीत कुमार व दीपचंद को पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया जा रहा है। वापसी पर थाना नियमानुसार अभियोग पंजीबद्ध करवाया जावेगा आदि पर प्रकरण संख्या 122/2021 धारा 3/7

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested

वश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे कायम कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान गवाहान श्री ज्ञानसिंह आरपीएस, श्री रतनसिंह एचसी 2552, श्री रविन्द्र कानि0 1191, श्री भीमसिंह कानि0 172, श्री धर्मवीरसिंह एचसी 30, श्री सत्यवीरसिंह कानि0 353, श्री कर्मपाल कानि0 171 से अनुसंधान कर धारा 1651 सीआरपीसी बयान लेखबद्व किये गये। मुलजिमान अजीत कुमार व दीपचंद से तफ्तीश की गई। प्रकरण मे नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया। प्रकरण मे मुलजिमान को बाद अनुसंधान पेश न्यायालय कर न्यायिक अभिरखा मे भिजवाया गया। प्रकरण हाजा मे जब्तशुदा अवैध डीजल पेट्रोल के परिवहन मे प्रयुक्त जब्तशुदा वाहन पिकअप नंबर आरजे 14 जीएल 3081 के रजिस्टर्ड मालिक अजीत से अनुसंधान किया जा चुका है तथा जब्तशुदा वाहन पिकअप नं0 आरजे 14 जीएल 3081 के असल दस्तावेजात् आरसी, इश्योरेन्स व वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स जब्त किया जा चुका है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन मालिक को जब्तशुदा अवैध डीजल पेट्रेल के परिवहन मे प्रयुक्त जब्तशुदा वाहन पिकअप नंबर आरजे 14 जीएल 3081 सुपुर्दगी पर दिये जाये तो पुलिस को कोई आपित्त नही है। रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामे सादर पेश है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 3081 का स्वामी है तथा दिनांक 04.06.2021 को थाना खेतडीनगर की तलासी अभियान मे मेरी गाडी उक्त वाहन जो एक पिकअप है जो माल ढोने व भाडा हेतु प्रयोग मे ली जाती है को जब्त कर लिया गया। इस वाहन के अन्दर ही मेरी आरसी, डीएल व वाहन का इश्योरेन्स भी मौजूद था जो गाडी के साथ ही जब्त है। उक्त प्रकरण मे अनुसंधान मे उक्त वाहन व दस्तावेज को अनुसंधान का विषय नही बनाया गया है तथा प्रकरण निस्तारण मे काफी समय लगने की संभावना है जिससे लम्बे समय तक वाहन व उक्त दस्तावेज के थाने मे खडे रहने से प्रार्थी को सख्त हक तलफी होगी। जिन्हे सुपुर्दगी पर छोडा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अ0धा0 45 सीआरपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके स्वामित्व का उक्त वाहन व संबंधित दस्तावेजात् सुपुर्दगी पर देने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 122/2021 पुलिस थाना खेतडीनगर में अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट में जप्त है। प्रार्थी द्वारा पिकअप सं0 आरजे 14 जीएल 3081 का उपयोग अवैध रूप से 8 बडे प्लास्टिक के ड्रम जिनमे कुल 1600 लीटर डीजल भरा हुआ है एवं एक प्लास्टिक की कैन जिसमे 15 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है जो कि बिकी के उद्देश्य से हरियाणा से लाया जा रहा था के लिए किया है जो कि ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर विचार किया किया। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण मे डीजल हरियाणा से लाया गया है। जिसमे डीजल की मात्रा 1600 लीटर एवं पेट्रोल 15 लीटर है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल वहां से लाकर बेचने

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हेतु लाया जा रहा था।

2. प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना तथा जप्त वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 3081 को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित समझते है

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 1600 लीटर (8 बडे प्लास्टिक के ड्रम) तथा 15 लीटर पेट्रोल (एक प्लास्टिक कैन) का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें जो जमा राशि एफ.आई.आर. 122/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अध्ययधीन रहेगी तथा जप्त वाहन पिकअप सं0 आरजे 14 जीएल 3081 को 03–03 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडीनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/08/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested